RISING RAJASTHAN

सत्यमेव जयते

75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 05 / 2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण–**
1. श्री मनोज कुमार पुत्र धींगड़मलजी जाति जैन, निवासी सिणधरी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।		1. श्री ग्राम पंचायत सिणधरी जरिए संरपच ग्राम पंचायत सिणधरी, जिला बालोतरा। 2. श्री पारसमल पुत्र श्री धीगड़मल जी जाति जैन, निवासी सिणधरी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 06 दिनांक 28.02.2014 जो अप्रार्थी संख्या 2 के नाम ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री भुपेन्द्र गहलोत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्रीमती इन्द्रा चारण, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :12.08.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 28.02.2014 के विरूद्ध दिनांक 03.07.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 158 के तहत मौजा सिणधरी में पट्टा संख्या 06 दिनांक 28.02.2014 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 208 वर्ग गज दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उतर में 35 फीट चंद्रमल भगजी, बदिशा दक्षिण 35 फीट व धींगड़मल सोहराज जी, पूर्व में 24 फीट व रिखबचंद धर्माजी तथा पश्चिम में 26 फीट व रास्ता आया हुआ है। उक्त पट्टे को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट • बालोतरा •

जिला कलक्टर
बालोतरा

4. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब में कथन किया कि पंचायतराज अधिनियम की धारा 61 एवं नियम 166 में स्पष्ट है कि अपील के प्रावधान प्रदान किये गये है। पटटा पंजीकृत दस्तावेज तथा पंजीकृत दस्तावेज को वाईड डिक्लेयर किये जाने हेतु सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी म्याद बाहर है। प्रार्थी पैतृक सम्पति का सत्य कथन करते हुए निगरानी प्रस्तुत की गयी है, किन्तु इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। पारसमल बनाम मनोजकुमार सिविल न्यायालय सिणधरी में इसी प्लोट में पारसमल द्वारा भवन का निर्माण किया जा रहा था व मनोज द्वारा रोकने पर सिविल कोर्ट सिणधरी से स्टे स्थगन आदेश लिया गया है, उसके बाद में निगरानीकर्ता ने यह निगरानी पेश की है व न्यायालय को इस बात को छिपाकर निगरानी पेश की। उक्त विवादित भूखण्ड पर संयुक्त कब्जा किसी का नहीं है केवल मात्र मुझ अप्रार्थी संख्या 2 पारसमल का भूखण्ड है, जिस पर पारसमल मकान बना रहा है। जिसका भवन निर्माण में दखल नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का दावा सिविल न्यायालय सिणधरी में विचाराधीन है। सभी भाईयों के आपसी, मौखिक बंटवाड़ा हो चुका है और सभी भाईयों को अपने-अपने हक हिस्से की सम्पति मिल चुकी है। पंचायतराज अधिनियम 1996 में बताये गये नियम 145 से 158 तक के सभी नियमों की पालना की गयी। अनिगराकार ने 150 वर्गगज से ज्यादा पटटा पंचायत ने जो जारी किया है, उसकी शुल्क अनिगराकार ने भरी थी इसलिये उसे मिला है। इस प्लोट पर अप्रार्थी संख्या 2 ने कब्जा व स्वामित्व है अन्य भाईयों का इस पर कोई हक-हिस्सा नहीं है और न ही संयुक्त सम्पति है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर व क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारीज योग्य है।

5. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में यह कथन किया कि प्रार्थी का पुस्तैनी एवं सयुंक्त कब्जा सुदा भुखण्ड आबादी क्षेत्र मोजा सिणधरी चौसिरा, वार्ड संख्या 8 जैनों का वास में आया हुआ है। उक्त भूखण्ड जो कि प्रार्थी व उसके भाईयो अप्रार्थी सं. 2 पारसमल, नरपतचन्द, शान्तिलाल, को उनके पिता श्री धीगड़मलजी पुत्र श्री सोहनराजजी से पैतृक/विरासत की सम्पति के रूप में सभी भाईयो को बहिस्सा बराबर बराबर प्राप्त हुआ हैं। जिसमे निगराकार व उसके सभी भाईयो का संयुक्त कब्जा व हक स्वामित्व पुस्तैनी रूप से चला आ रहा हैं। उक्त भूखण्ड का निगराकार एवं उसके भाईयो के बीच कभी भी किसी प्रकार से बंटवाड़ा नही हुआ हैं। उक्त जायदाद प्रार्थी व उसके भाईयो की पुस्तैनी जायदाद हैं, जिस पर सभी का समान रूप से कब्जा व हक अधिकार हैं। अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के साथ उक्त भूखण्ड को अकेले हड़पने की सांजिश रचते हुए अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त भूखण्ड के कब्जा, हक स्वामित्व, की जांच किये बिना उक्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 06 बुक संख्या 101, मिसल संख्या 218/2013-14 के अनुसरण मे दिनांक 28.02.2014 को अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी किया। उक्त पट्टा विलेख जारी करने मे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 मे बताये नियम 145 से 158 तक के किसी भी नियम की पालना नही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 का वादग्रस्त भूखण्ड पर अकेले का कभी कोई कब्जा नही रहा, न ही उसका अकेले का कोई हक स्वामित्व ही रहा है। उक्त पट्टा संख्या 06 जो कि नियम 158 के तहत जारी किया गया है, जो कि गलत तौर से जारी किया गया हैं। उक्त प्रावधान के अनुसार आवंटी को अधिकतम 150 वर्गगज तक का पट्टा जारी किया जा सकता हैं, किन्तु अप्रार्थी ने 208.33 वर्गगज भूमि का गलत तौर से पट्टा जारी किया हैं। इसके अतिरिक्त पट्टासुद जायदाद पर आवंटी का अकेले का कब्जा होना आवश्यक हैं, जबकि पट्टासुद जायदाद प्रार्थी व उसके भाईयो की अविभाजित संयुक्त सम्पति हैं, जो कि उन्हे पुस्तैनी सम्पति के रूप में प्राप्त हुई हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार कमेटी का गठन नही किया

जिला कलक्टर
बालोतरा

गया और न ही मौका पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थी को कोई नोटिस दिया एवं न ही सुनवाई का अवसर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी प्रकार की सार्वजनिक सूचना या नोटिस भूखण्ड व आम चौराहे पर चस्पा नहीं किया गया, मात्र कागजी कार्यवाही करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायती राज नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक मे अंतिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित करते हुए नोटिस प्रकाशित करना था। जिस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के रूबरू चस्पा करनी थी। मगर उक्त प्रकिया की पालना नही की गई। आलोच्य पट्टा में अंकित बिन्दु संख्या 5 में 10/– रू प्रति गज की दर से होना बताया गया तथा अप्रार्थी को 208 वर्ग गज जारी किया गया है, जिसकी राशि 2080/– रू की राशि अप्रार्थी को पंचायत में जमा करवाना होता है, लेकिन अप्रार्थी द्वारा रसिद संख्या 9 पर अंकित 980/– रू की राशि जमा करवाई गई है। साथ ही पंचायत की प्रस्ताव में कांट छांट भी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुए जारी किया गया है, जो उक्त पट्टे को अपास्त करने का आदेश फरमावे।

6. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने लिखित बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 का आलोच्य भूखण्ड मौजा सिणधरी, तहसील सिणधरी, जिला–बालोतरा में अवस्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त निगरानी विलम्ब से पेश किये जाने के कारण पोषणीय नहीं होने से म्याद बाहर है। पंचायतराज अधिनयिम की धारा 61 एवं नियम 166 में स्पष्ट है कि अपील के प्रावधान है कि उक्त अनुतोष हेतु पंचायत समिति में अपील पेश करे, न कि न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी पेश करे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्षेत्राधिकार बाहर पेश की गई है। पटटा पंजीकृत दस्तावेज तथा पंजीकृत दस्तावेज को वाईड डिक्लेयर किये जाने हेतु सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जहां पर न्यायालय शुल्क अदा किये जाने के पश्चात् सिविल दावा किया जाता है। प्रार्थी द्वारा कोर्ट फीस का भुगतान नहीं किये जाने के उद्देश्य से प्रावधित रेमेडी नहीं ली गयी है। पंजीकृत दस्तावेज को अपास्त किये जाने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को ही प्राप्त है व कोई भी टाईटल डिसाईड करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थी पैतृक सम्पति का सत्य कथन करते हुए निगरानी प्रस्तुत की गयी है, किन्तु इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य निगरानी के साथ प्रस्तुत नही किया गया है। यदि प्रार्थी की बात को सत्य भी मान लिया जाये तो भी पैतृक सम्पति के बंटवाड़े का दावा करना चाहिये था। पारसमल बनाम मनोजकुमार सिविल न्यायालय सिणधरी में इसी प्लोट में पारसमल द्वारा भवन का निर्माण किया जा रहा था व मनोज द्वारा रोकने पर सिविल कोर्ट सिणधरी से स्टे स्थगन आदेश लिया गया है। वादग्रस्त भूखण्ड बाबत निगरानी में संयुक्त कब्जा व स्वामित्व कब्जा का गलत लिखाया है। संयुक्त कब्जा किसी का नहीं है केवल मात्र मुझ अप्रार्थी संख्या 2 पारसमल का भूखण्ड है जिस पर पारसमल मकान बना रहा है, जिसके भवन निर्माण में दखल नही करने हेतु स्थायी निषेद्याज्ञा का दावा सिविल न्यायालय सिणधरी में विचाराधीन है। उक्त आलोच्य भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 पारसमल का स्वयं का स्वामित्व व कब्जा कई वर्षों से अनवरत चलता आ रहा है। सभी भाईयों के आपसी, मौखिक बंटवाड़ा हो चुका है और सभी भाईयों को अपने–अपने हक हिस्से की सम्पति मिल चुकी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 के पिता की मौत के बाद पिताजी के लॉकर में से सारा सोना, सारा पैसा व अन्य भी कई प्लोट प्रार्थी ने अपने नाम करा दिये है। उन सभी सम्पति पर केवल प्रार्थी मनोज का ही अधिकार है, किसी भी भाई को उसमें

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

से कोई सम्पति या प्लोट निगरानीदार ने नहीं दिये है। अप्रार्थी ने उक्त प्लोट का पटटा पंचायत में सभी भाईयों का आपस में व मौखिक में बंटवाड़ा होने के बाद 2013–14 में बनाया गया जिसकी मिसल संख्या 218/2013–14 है। पंचायतराज अधिनियम 1996 में बताये गये नियम 145 से 158 तक के सभी नियमों की पालना की गयी। नियमानुसार पटटा बनने के तीन वर्ष बाद निगरानी या पटटा कैंसल का दावा करना चाहिये था, लेकिन प्रार्थी ने यह नहीं किया व न ही अपनी निगरानी में लिमिटेशन बाबत कोई दरख्वास्त या हल्फनामा पेश किया। अप्रार्थी ने 150 वर्गगज से ज्यादा पटटा पंचायत ने जो जारी किया है, उसकी शुल्क अनिगराकार ने भरी थी इसलिये उसे मिला हैं। नियमानुसार पंचायत में कमेटी में गठन किया गया. था, मौका निरीक्षण किया गया था व पटटे पर 150 वर्गगज से ज्यादा होने पर पंचायत द्वारा अधिक शुल्क अप्रार्थी संख्या 2 ने दिया था, जिससे समुचित कानूनन कार्यवाही पटटा जारी करने में पंचायत द्वारा की गयी थी। प्रार्थी द्वारा पटटा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी होने के बाद पंचायत द्वारा सार्वजनिक सूचना दी गयी थी व आम चौराहे पर भी चस्पा की गयी थी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पटटा जारी करने में पंचायीतराज अधिनियम 1956 के सभी नियमों की पालना की गयी है व पटटा वैधानिक तौर पर जारी किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 का पटटा संख्या 06 बुक संख्या 101 मिसल संख्या 218/2013–14 जारी दिनांक 28.02.2014 को सही व न्यायोचित जारी किया गया है तथा सभी नियमों की पालना करते हुए जारी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से तथा म्याद बाहर होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

7. हमने पत्रावली में प्रार्थीगण के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा मिसल संख्या 218/2013–14 पर पंचायत की बैठक में फैसल दिनांक 28.02.2014 के अनुसरण में आलौच्य पट्टा सं. 06 दिनांक 28.02.2014 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी मुख्य आपति हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 06 नियम 158 के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत सिणधरी की ओर से जारी आलौच्य पट्टा के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत सिणधरी से उक्त पट्टे संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 पारसमल पुत्र धींगड़मल जाति जैन द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 19.09.2013 को आवेदन प्रस्तुत किया तथा 20.09.2013 को पेश हो, होना बताया गया। दिनांक 20.09.2013 को ग्राम पंचायत की बैठक अवश्य हुई, लेकिन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का इन्द्राज ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकित नहीं होना पाया गया और न ही प्रारम्भिक आदेशिकाएं में अंकित होना पाया। इसके अलावा उक्त आलोच्य पट्टा संकल्प संख्या 04 दिनांक 25.02.2014 की अनुपालना में दिनांक 28.02.2014 को जारी होना बताया गया, लेकिन दिनांक 25.02.2014 का इन्द्राज बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकित होना नहीं पाया गया तथा दिनांक 28.02.2014 को बैठक कार्यवाही रजिस्टर में प्रस्ताव संख्या 8 में पट्टा जारी करने का अनुमोदन कर इंद्राज अवश्य किया गया है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी होना नहीं बताया गया तथा उसी प्रस्ताव संख्या 8 में कांट छांट होना पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन तथा पट्टा जारी करने का अंकन बैठक कार्यवाही रजिस्टर में इन्द्राज की पालना नहीं की गई है। साथ ही अधीनस्थ ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण मिसल एवं आदेशिकाएं कम्प्युटरकृत प्रारूप

जिला कलक्टर
बालोतरा

निकालकर उसमें खानापुर्ति करना पाया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य पट्टा का अवलोकन किया, जिसमें उक्त आलोच्य भूखण्ड का नाप व क्षेत्रफल 97.22 वर्ग गज होना पाया गया, लेकिन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में, मौका निरीक्षण प्रपत्र में, आदेशिकाएं में व मूल पट्टे में आलोच्य भूखण्ड का नाप/क्षेत्रफल 208.33 वर्ग गज अंकित होना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 पारसमल पुत्र धींगड़मल जाति जैन के पक्ष में पंचायतीराज नियम 158 के तहत जारी होना पाया गया है, लेकिन पंचातीराज नियम 158 के तहत उन आवंटी/पट्टाधारक को जारी किया जाता है, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों आदि के सदस्यों के श्रेणी में आता हो, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 सामन्य श्रेणी में आता है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 06 दिनांक 28.02.2014 को जारी करते समय *"पंचायती राज नियम 158 भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन- पंचायत, गांव आबादियों में, 300 वर्ग गज, तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़िया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थत/गृह नहीं हैं और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी।"* की पालना नहीं करना प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 2 के अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये है तथा बयान फार्म भी नहीं पाया गया। उक्त आलोच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित आवेदन–पत्र, आपत्ति नोटिस, नियमानुसार शुल्क जमा करने की रसीद, मौका निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई नियमों का एवं पैतृक स्वामित्व की पुष्ठि हेतु साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, जिसमें पंचायतीराज नियमों के तहत विधिसम्मत एवं स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 में पंचायतो के आदेशो की अपील पंचायत समिति के समक्ष 30 दिन के भीतर भीतर कर सकेगा, जबकि प्रार्थी ने उक्त आदेश के विरूद्ध वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होते हुए कभी भी कोई अपील सबंधित पंचायत समिति में पेश नहीं की है तथा हस्तगत निगरानी में उल्लेखित पटटा एक पंजिकृत दस्तावेज है, जिसे श्री न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा किसी भी प्रकार से पुनरिक्षण एवं निरस्त नहीं किया जा सकता है, क्योकि उक्त दस्तावेज पंजिबद्ध होने से इसके सबंध में उत्पन्न सभी विवादो का निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय का है। इस संबंध में शासन सचिव पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ. 4/10/परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे को निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत न्यायालय जिला कलक्टर को निर्धारित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी का कथन न्यायसंगत नहीं है एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे को निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत न्यायालय जिला कलक्टर को निर्धारित है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा संख्या 06 दिनांक 28.02.2014 को जारी किया है, निरस्त योग्य पाया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पटटा संख्या 06 दिनांक 28.02.2014 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्म्त नहीं होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बालोतरा